



विद्युत वितरण खण्ड

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

राजापुर चित्रकूट

पत्रांक 607

/ वि० वि० खण्ड /

दिनांक 12/05/23

विषय-निजी नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु (टी०सी०)

सेवा में

श्री LAVLESH आत्मज श्री SHIV MOHAN ग्राम GHUREHTA ब्लाक RAMNAGAR

महोदय

आपके आवेदन पत्र दिनांक.

28.04.2023-1008267000

के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिए

8 HP

HP/KW/KVA/BHP

तथा पंखा बत्ती के लिए सिरीज में 120 वाट की स्वीकृति दिनांक

12.05.2023

को प्रदान कर दी गयी है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रूपया...

139143.00

2. सेवा

4957.00

3. प्रतिभूति के रूप में (Security) निजी नलकूप रू०..

2400.00

पंखा बत्ती रू०.

100.00

4. मीटर शुल्क

0.00

5. अन्य...

0.00

6. कुल योग रू०..

146600.00

7. आपको नलकूप को कनेक्शन देने हेतु रू०..... का व्यय मार निगम को वहन करना होगा जबकि निगम द्वारा इस मद से रू०..... की ही स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन पडने के कारण रू०..... का अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वपस नहीं किया जायेगा।

9. मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष में 0043 विद्युत पर एवं शुल्क व 102 नारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क के अन्तर्गत रू०. 5500 जमा करना होगा।

10. आपको आपके कनेक्शन के लिए स्वयं विद्युत भंडार केंद्र चित्रकूट से अपने वहन द्वारा समान की बुलाई करनी होगी समान बुलाई के साथ स्वयं के व्यय पर लाइन निर्माण कराना होगा।

11. आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईट बालू तथा सिमेंट का प्रबन्ध करना पडता है अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा आपनी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

12. कनेक्शन हेतु लाइन व स्टेशन बनाने में जो मजदूरी की आवश्यकता पडेगी उसे भी आपको प्रबन्ध करना पडेगा।

नोट (1) क०स० 67 तथा 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किए जाने वाले खर्च को आपके इस्टीमेट से कम कर दिया गया है तथा वड शत

(2) सीमेंट बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा ऐंगिल नल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिनकी मात्रा

प्रति खम्भा..... सीमेंट 0.6 बोरी बालू 3 घन फीट गिट्टी 6 घन फीट

प्रति स्टेशन..... सीमेंट 0.3 बोरी बालू 1.5 घन फीट गिट्टी 3 घन फीट

(3) आपके कार्य करने के लिए..... मजदूरी की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखित शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक वा गवाहों सहित इस कार्यालय में पधारकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।

1. नाम जुडिशियल 100/- रू० का जनरल स्टाम्प तथा 1/- रू० का रसीदी टिकट (Revenue Stamp)

2. ऊपर लिखी राशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्ज के रूपये की रसीद की छायाप्रति। 3.

एक फोटो प्रमाणित 4. निवास प्रमाण-पत्र

आपके कनेक्शन को बिजली तनी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पुरा होगा और बी०एल०फार्म० और मीटर डिक्लेरेशन फार्म (मीटर सुधारने के लिए प्रेजरी चालान सहित) अधिशाही/जूनियर इन्जीनियर क अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उनकी रसीद प्राप्त कर लें। यदि आप उपरोक्त शर्तें

इस पत्र के 30 दिनों के बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं और प्रकरण शुल्क 100/- रू० भी जब्त हो जायेगा।

अधिशाही अभियन्ता

पत्रांक: प्रतिलिपी:- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड/ग्रामीण उपखण्ड.....

2. खण्ड विकास अधिकारी.....

3. जिला विकास अधिकारी.....

4. अनुबन्ध लिपिक वि०वि० खण्ड.....

अधिशाही अभियन्ता